Telefax :-0294-2471302, 2410570 (O), Email:-registrar.mpuat.udaipur@gmail.com / registrar@mpuat.ac.in, Website: mpuat.ac.in

MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, UDAIPUR

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

दिनांक : 07 जून, 2024

क्लर्क ग्रेड–द्वितीय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन के क्रम में।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा क्लर्क ग्रेड –द्वितीय के पद पर भर्ती हेतु दिनांक 18.02.2024 को उदयपुर में आयोजित लिखित परीक्षा एवं क्लर्क ग्रेड –।। सीधी भर्ती परीक्षा–2023 के द्वितीय चरण (Phase -ll) की परीक्षा दिनांक **30.04.2024** (कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण) के आधार पर आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 20.06.2024 को प्रातः 8.00 बजे प्लेसमेंट सेल, CTAE, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर में निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं उनकी दो–दो प्रतिलिपि (Photocopy) स्वयं द्वारा प्रमाणित (सत्यापित) सहित प्रस्तुत होवेंः–

01. जन्म तिथि सत्यापन हेतु सैकण्डरी उत्तीर्ण अंकतालिका/प्रमाण पत्र।
02. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षाओं की अंक तालिकायें एवं प्रमाण पत्र।
03. निम्नलिखित में से कोई एक कम्प्युटर कोर्स का प्रमाण पत्र :

    "O" or Higher level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India

    OR

    Certificate course on computer concept by NIELIT, New Delhi.

    OR

    Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and computer software (DPCS) certificate organized under National/State councilor Vocational Training Scheme.

    OR

    Degree/ Diploma/Certificate in Computer Science / Computer application from a university established by law in India or from an institution recognized by the Government.

    OR

    Diploma in computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.

    OR

    Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

04. यदि आवेदक ने अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के पदों पर आवेदन किया है तो अनुसूचित क्षेत्र (TSP) निवास का प्रमाण पत्र।
05. श्रेणी/जाति का प्रमाण पत्र (पिछडा वर्ग का नियमानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र)।
06. अल्प आय वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
07. दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
08. उत्कृष्ठ खिलाड़ी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
09. स्वयं के पासपोर्ट साईज के चार फोटो (जिसे परीक्षा के समय प्रवेश पत्र पर लगाया हो)।
10. आधार कार्ड।
11. मूल निवास प्रमाण पत्र।
12. परीक्षा प्रवेश पत्र।

13. यदि वर्तमान में राजकीय/राजकीय उपक्रम/स्वायतशासी संस्थान में कार्यरत है, तो संस्था प्रधान/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
14. यदि पूर्व में सेवा में थे, तो अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति प्रतिवेदन की प्रति।
15. यदि विवाहित हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
16. यदि विवाहित हैं तो बच्चों की संख्या के संबध में शपथ पत्र।
17. यदि आप अविवाहित हैं, तो घोषणा पत्र।
18. आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
19. चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हों और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुए नहीं हो।
20. किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। (इस आशय का शपथ पत्र)
21. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। (इस आशय का शपथ पत्र)
22. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है। (इस आशय का शपथ पत्र)
23. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित नहीं किये गये। (इस आशय का शपथ पत्र)
24. आवेदक के विरूद्ध कोई पुलिस/न्यायालय द्वारा कार्यवाही लम्बित नहीं है एवं उसे किसी भी प्रकरण में दोषी करार नहीं दिया गया है (इस आशय का शपथ पत्र)
25. आवेदक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

नियत दिनांक एवं समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।

यहॉ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन चयन प्रक्रिया का भाग है तथा यह किसी अभ्यर्थी को इस पद पर चयन का अधिकार प्रदान नहीं करता है।